नगर परिषद परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2013 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग—एक

1 **(क) प्रारम्भिकः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1—376/81—फिन(एल0ए0) —खण्ड—IV दिनांक 18.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अवधि 4/2011 से 3/2013 तक नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमालच प्रदेश के प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी निमनानुसार थेः—

(1) प्रधान

क्र0सं0	विवरण	अवधि
1	डॉ0 डेजी ठाकुर	1.4.2011 से 31.3.2013

(2) कार्यकारी अधिकारी

क्र0सं0	विवरण	अवधि
1	श्री पुरूषोत्तम सिंह चौधरी	1.4.2011 से 20.6.2012
2	श्री अजमेर सिंह ठाकुर	20.6.2012 से 31.3.2013

(ख) नगर परिषद परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2011 से 03/2013 तका अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाख
1	दिनांक 31.3.2013 को अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	6.1	23.49
2	गृहकर, सफाई कर दुकानों का किराये की वसूली न करना	8.2	74.11
3	गृहकर की दर में वृद्धि न करने के कारण परिषद को वित्तीय हानि	8.3	2.07
4	सहायक आयुक्त कार्यालय से किराये की राशि की वसूली न करना	8.8	26.02
5	भवन नक्शा पारित शुल्क की कम वसूली	8.10	3.63

6	मोबाईल टावर शुल्क की वसूली न करना	8.11	1.05
7	हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से व्यय	9.1	30.30
8	निर्माण कार्य पर स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय	10.1	2.34
9	स्टील के गलत Conversion factor लगाए जाने के कारण संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को सम्भावित अधिक भुगतान	10.7	0.51
10	Excavation in foundation trenches व P/L non-pressure pipe 30mm dia के कार्य निष्पादन में सम्भावित अनियमित/अधिक भुगतान	10.9	0.33
11	निर्माण बिलों से लेबर सैस (Labour cess) की कटौती न करना	10.10	0.86
12	हि0प्र0 पैन्शन, ग्रेच्युटी एवं जी0पी0एफ0 रूल्स 2000 के नियम 3 के अनुसार नियोक्ता अंशदान की राशि को पैन्शन, ग्रेच्युटी फंड में जमा न करना	12	20.50

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "क" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद परवाणू के लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2013 तक का अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा तथा श्री अनिल मेहरा अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10.6.2013 से 27.8.2013 तक परवाणू में किया गया। आय की विस्तृत जॉच के लिए मास 3/2012 और 02/2013 एवं व्यय की विस्तृत जॉच के लिए मास 02/2012 और 02/2013 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। इस अंकेक्षण प्रतिवेंदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किया गया हैं। किसी भी गलत/अधूरी सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

अवधि 4/2011 से 3/2013 तक के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क ₹63600/— बनता है। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणू, जिला सोलन को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 के नाम प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 56/पी0डब्लयू0एन0/2013 दिनांक 27.08.2013 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः—

अवधि 4/2011 से 3/2013 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क—1" में विस्तार से बैंक समाधान विवरण सहित दर्शाया गया है।

5 सावधि निवेशः—

दिनांक 31.3.2013 को नगर परिषद के पास अपने स्त्रोत से प्राप्त आय को शेष ₹18065495.00 बचत खाते में जमा थे। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वह नगर परिषद की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आय के शेष को सावधि जमा योजना में निवेश करें ताकि भविष्य में ब्याज के रूप में आय प्राप्त की जा सके।

6 अनुदानः—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अनुदानो ंसे प्राप्तियों व व्यय का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर संलग्न किया गया है। अनुदानों से प्राप्तयों व व्यय का विवरण की जॉच करने के उपरान्त इसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः—

6.1 दिनांक 31.3.2013 तक अनुदानों की शेष ₹2349438.00 का उपयोग न करनाः—

नगर परिषद के अनुदानों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अनुदानों की राशि ₹2349438.00 दिनांक 31.3.2013 को व्यय करने हेतु शेष थी।

(i) माह 04/2011 से पूर्व प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.3.2013 तक ₹1542735.00 व्यय करने हेतु शेष थी।

(ii) वर्ष 2011—12 के दौरान प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.3.2013 तक ₹290948.00 व्यय करने हेतु शेष थी।

(iii) वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.3.2013 तक ₹515755.00 व्यय करने हेतु शेष थी।

अतः उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.3.2013 तक अनुदानों ₹2349438.00 की राशि को उपयोग न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। इन अनुदान राशियों को स्वीकृति पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार अविलम्ब उपयोग किया जाए अन्यथा शेष राशि का प्रत्यर्पण किया जाए।

6.2 ₹29835345.00 की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करानाः–

विभिन्न स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों राशि ₹29835345/– जिनका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "ख–1" में दर्शाया गया है, के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवश्यक जॉच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33/पी0डब्लयू0एन0/2013 दिनांक 3.8.2013 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

7 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख रखाव न करनाः–

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0–एच(सी)–15–49/2003–III 3332–3379 दिनांक 25.3.2009, यू0डी0–एच(सी)–15–49/2003–III 9337–9385 दिनांक 7.9.2009, और पत्र संख्या यू0डी0–एच(सी)–15–49/2003–IV 5215–63 दिनांक 19.7.2010 के तहत सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गये थे कि वह सभी अपने लेखा खातों को दिनांक 01.4. 2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से बनायेगी। वर्ष 2011–12 और 2012–13 के लेखा खातों के अंकेक्षण में जॉच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाया जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के आधार पर लेखो ंका रख –रखाव करना सुनिश्चित किया जाए कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 आयः–

8.1 स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त आय की कम प्राप्तिः–

अपने संसाधनों से प्राप्त आय की जॉच में पाया गया कि स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक आय कम प्राप्त की गई थी। यह अनियमित है, स्वीकृत बजट प्रावधान अनुसार ही आय एकत्रित की जानी अपेक्षित थी। बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त कम आय का विवरण निम्न दिया गया है। अतः स्वीकृत बजट प्रावधानों की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त आय कम प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रावधानों के अनुसार ही आय प्राप्त करने का प्रयास कया जाना चाहिए।

वर्ष	अपने संसाधनों से प्राप्त आय हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान	अपने संसाधनों से प्राप्त वास्तविक आय (Income from own Sources) (Actual) (Excluding the income from IHSDP Beneficiary Share)	बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त की गई कम आय (Income from own Sources)
2011–12	24600000	19142164	5457836
2012–13	33300000	31371319	1928681

8.2 गृहकर, सफाई कर दुकानों का किराये ₹7411002.00 की बकाया राशि वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण के दौरान गृहकर, सफाईकर, दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2013 को ₹7411002/– की राशि वसूली योग्य थी। जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया हैः–

क्र0सं0	विवरण	वसूली योग्य राशि
1	गृहकर	7086075
2	सफाई कर	108914
3	दुकानों का किराया	216013
	कुल योग	**7411002**

निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0एल0बी0एच0 (ए)(7)–1/87–9237–9284 दिनांक 20.6.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिशत वसूली की जानी अपेक्षित थी लेकिन इसके बावजूद स्थिति यथावत जारी थी। अतः निदेशक, शहरी

विकास हिमाचल प्रदेश के आदेशों के अनुसार करों की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए।

8.3 गृहकर में वृद्धि न करने के कारण ₹20727447.00 की वित्तीय हानिः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0डी0एच (सी) (10)–7/98–II दिनांक 17.11.2003 के अनुसार अवधि 2002–03 में @7.5**%** की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रति वर्ष @1/– की वृद्धि करके अवधि 2006–07 तक गृहकर की दर को @12.5**%** किया जाना आपेक्षित था लेकिन परिषद द्वारा नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई। परिणामस्वरूप सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण परिषद को ₹20727446.67 की गृहकर की हानि हुई। इस राशि का वर्षानुसार विवरण निम्न दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि गृहकर कर दर में सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वृद्धि करके इसे 12.5**%** तक बढ़ाया जाए जिससे नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके।

वर्ष	**7.5% की दर से गृहकर की मॉग (₹)**	**12.5% की दर से गृह कर की अपेक्षित मांग (₹)**	**अन्तर (₹)**
2011–12	15545585	25909308.33	10363723.33
2012–13	15545585	25909308.33	10363723.33
		कुल योग	**20727446.67**

8.4 गृहकर, सफाई कर एवं व्यापार कर का निर्धारण व मॉग न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर, सफाई कर और व्यापार करके अभिलेखों की जॉच करने पर पाया गया नगर परिषद द्वारा विभिन्न प्रकरणों में गृहकर, सफाई कर व व्यापार कर का निर्धारण व मॉग सम्बन्धित रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि नगर परिषद द्वारा गृहकर, सफाई कर व व्यापार कर अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। गृहकर, सफाई कर व व्यापार कर की मॉग एवं वसूली रजिस्टर में नहीं लिखे जाने से सम्बन्धित कुछ विवरण निम्न दिया गया है। अतः गृहकर, सफाई कर व व्यापार कर अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

गृहकर व सफाई करः—

क्र0सं0	नाम	वर्ष/जिस अवधि का निर्धारण व मॉग नहीं की गई	गृहकर	सफाई कर
1	M/S Banarasi Dass & Co. Ind Plot No. 03 Sec-01	2012—13	112370	1200
2	M/S Ikon Battery, Ind Plot No. 6 Sec-1	2012—13	79687	1200
3	M/S Bhole Nath Exports (P) Ltd. Plot No. 8 Sec-1	2012—13	35600	900
4	M/S Himachal Fasters Ind Plot No. 14	2012—13	11094	900
5	M/S Shubh Timb Dteel Pvt. Ltd Ind. Plot No. 20 B 22,23,24	2012—13	103937	1200
6	M/S Blue Max Stores plot No. 25 Sec-01	2012—13	27997	1200
7	M/S Om Soap & Detergents Ind. Plot No. 28	2012—13	23053	900
8	M/S Usakka Elecronics Ind Plot No. 30 Sec-01	2012—13	24908	2400
9	M/S Global Industries Ind Plot No. 39 Sec-01	2012—13	55848	2400
10	M/S Taksh Enterpries Ind Plot No. 42 Sec-01	2012—13	41029	1200
11	M/S Balajee Powersonic Ind Plot 12 Sec 2	2012—13	121380	4500
12	M/S Megha Enterprises Plot No. 14 Sec-2	2012—13	71057	900
13	Sh. K.S. Panta Ind Plot No. 19 Sec-2	2012—13	81659	900
14	M/S Max Power System Ind Plot No. 20 Sec-2	2012—13	45268	2400
15	M/S U.K. Enterprises Ind Plot No. 12	2012—13	60000	2400
16	M/S Krishna Ind Pvt. Ltd. Ind Plot No. 38	2012—13	29353	1200
17	M/S N.K. Technology	2012—13	30553	1200

व्यापार कर:—

क्र0सं0	नाम	वर्ष/जिस अवधि का निर्धारण व मॉग नहीं की गई
1	M/S Him Traders Shop No. Sec-1	2012—13
2	Inder Pal Parkesh Shop 11, 12 Sec-1	2012—13
3	M/S Shivalya Enterprises Sec-1	2012—13
4	M/S V.K. Furniture SCO-10 Sec-1	2012—13
5	M/S Sadhu Ram Narinder Kumar SCF-18 B Sec-01	2012—13
6	Mahadev Trading Co. SCF-20	2012—13
7	M/S New Suraj Transport Co. Shop No. 12	2012—13
8	M/S R.K. Electronics Shop No. 12 Mayur Complex	2012—13
9	M/S Gopal Hair Dresser	2012—13
10	M/S Kaka Meat Shop, Shop No. 8, 9	2012—13

8.5 गृहकर/सम्पत्ति कर, सफाई शुल्क से प्राप्त आय ₹4762673.00 को सम्बन्धित मॉग एवं संग्रह रजिस्टर में प्रविष्टि न करना:—

परिषद द्वारा ₹4762673/— जिनका विवरण परिशिष्ट "घ" पर दिया गया है। गृहकर टैक्स/सम्पति कर, सफाई शुल्क की राशि एकत्रित की गई थी, परन्तु जी—8 रसीदों स्रे प्राप्त हाऊस टैक्स/सम्पति कर, ट्रैड टैक्स की उक्त राशि को सम्बन्धित मॉग एवं संग्रह रजिस्टर में प्रविष्टी नहीं पाई गई जबकि म्युनिसिपल अकाऊंट कोड 1975 के नियम 117 के अनुसार मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

8.6 गृहकर/सम्पत्ति कर निर्धारण सूची में हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार आवश्यक संशोधन न करना:—

नगर परिषद में निहित क्षेत्र में गृहकर/सम्पत्ति कर दिनांक 01.01.1988 से अधिरोपित किया गया था। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार पॉच वर्ष के उपरान्त वर्ष 1993—94 में गृह कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया जिसके कारण परिषद को निश्चित तौर से लाखों रूपयों की हानि उठानी

पड़ी। अतः नियमों की अनदेखी करके नियमित समय पर Assessment list में आवश्यक संशोधन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

8.7 नगर परिषद परवाणु के अधीन क्षेत्र में नये मर्ज एरिया के सम्बन्ध में गृहकर/सम्पत्ति कर, सफाई शुल्क का निर्धारण न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग, की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–ए (4)–1/78–III दिनांक 17.5.2007 के तहत नगर परिषद परवाणु के अधीन क्षेत्र में नये क्षेत्र शामिल किए गए थे। गृहकर/सम्पति कर, सफाई शुल्क के Assessment Register की पड़ताल करने पर पाया गया कि इन नये शामिल क्षेत्र में सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई गृहकर/सम्पति कर, सफाई शुल्क की निर्धारण नहीं की गई थी यह अनियमित है। अतः नये शामिल क्षेत्र के सम्बन्ध में अतिशीध्र नियमानुसार गृहकर/सम्पत्ति कर, सफाई शुल्क की निर्धारण करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

8.8 किराये की राशि ₹2602798.00 की वसूली न करनाः–

सहायक आयुक्त (प्रोटोंकोल) को नगर परिषद परिसर में माह 10/1992 से दो कमरे किराए पर दिये गए थे। नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 04.02.2001 के अनुसार अवधि 10/92 से 04/2001 के लिए पत्र संख्या एम0सी0/पी0डब्लयू0/एन0/आफफिस/201/324 दिनांक 17.4.2001 द्वारा ₹1051733/– का किराये का बिल सहायक आयुक्त (प्रोटोकोल) को दिया गया था। इसके अतिरिक्त अवधि 04/2011 लेकिन सहायक आयुक्त (प्रोटोकोल से किराये की गाड़ी दिनांक 31.3.2013 तक ₹2602798.00 वसूली योग्य शेष थी जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः यह मामला आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है व किराये की राशि शीध्र वसूल करके परिषद खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त कार्यालय से किराये का विवरणः–

1	देय किराए की राशि मार्च 2011 तक	2356462
2	अवधि 04/2011 से 03/2012 तक देय किराया	123168
3	अवधि 04/2012 से 03/2013 तक देय किराया	123168
	कुल किराए की देय राशि	**2602798**

8.9 बिजली उप–कर मॉग एवं प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–(डी) (1)–9/94, दिनांक 01.12.99 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र की परिधि में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में जॉच के दौरान पाया गया कि H.P. State Electricity Board Ltd. पत्र संख्या PEED/PF-Er. J.S. Rana/12-13-9058-59 दिनांक 7.2.2013 द्वारा नगर परिषद परवाणु को प्रति यूनिट 1 पैसा अवधि 2001–2002 से 2012–13 (up to 10/12) तक का बिजली शुल्क ₹4134368/– चैक संख्या 22465 दिनांक 7.2.2013 से नगर परिषद में जमा किए गए। जॉच में यह भी पाया गया कि परिषद द्वारा स्वतः स्पष्ट बिजली शुल्क मॉग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में राशि प्राप्ति से सम्बन्धित सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी कि कितनी राशि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी और कितनी राशि प्राप्त की गई है और कितनी राशि मार्च 2013 तक बिजली बोर्ड से लेनी शेष है। अतः स्वतः स्पष्ट बिजली शुल्क मॉग एवं प्प्रप्ति रजिस्टर शीध्र तैयार किया जाए व आवश्यक जॉच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

(क) वर्ष 2010–11, 2011–12 और 2012–13 हेतु शराब उपकर की राशि की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(सी) (9)–28/96–1, दिनांक 01.12.99 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर 1.00 प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को शराब उपकर भुगतान किया जाना था, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2008–09, 2009–10 के लिए ₹594198.00 और एक अन्य ₹519047.00 जोकी RTGS के द्वारा नगर परिषद परवाणु के बैंक a/c 55090327147 (SBOP) में, आबकारी एवं कराधान विभाग सोलन हिमाचल प्रदेश से शराब उप कर शीर्षक के अन्तर्गत नगर परिषद खाते में जमा की गई थी, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। वर्ष 2008–09, 2009–10 के दौरान की बोतलों की बिक्री का विस्तृत विवरण, आबकारी एवं कराधान विभाग सोलन, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010–11, 2011–12 और 2012–13 के लिए शराब उपकर की राशि, आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त करने के लिए परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि आबकारी एवं कराधान विभाग सोलन, हिमाचल प्रदेश से नगर परिषद क्षेत्र में वर्ष 2008–09, 2009–10 के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का विवरण

प्राप्त किया जाए ताकि इन वर्षों के लिए प्राप्त शराब शुल्क की राशि के सही होने की पुष्टि की जा सके साथ ही वर्ष 2010—11, 2011—12 और 2012—13 हेतु शराब शुल्क की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

जी—8 रसीद सं0	**दिनांक**	**शराब शुल्क की राशि (₹)**	**प्राप्त राशि का विवरण**
23／275	20.5.2011	168415	शराब शुल्क वर्ष 208—09 बैंक ड्राफ्ट संख्या 863824 दिनांक 2.2.11, बैंक ड्राफ्ट संख्या 863825 दिनांक 2.2.11
10／280	16.9.2011	168414	शराब शुल्क वर्ष 2008—09 बैंक ड्राफ्ट संख्या 492908 दिनांक 6.5.2011, बैंक ड्राफ्ट संख्या 492907 दिनांक 6.5.11
43／289	17.4.2012	257369	शराब शुल्क वर्ष 2009—10 बैंक ड्राफ्ट संख्या 211198 दिनांक 10.2.2012, बैंक ड्राफ्ट संख्या 211199 दिनांक 10.2.2012
		519047	किस वर्ष से सम्बन्धित है कोई विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं। RTGS के द्वारा नगर परिषद परवाणु के बैंक A/C 55090327147 (SBOP)

(ख) शराब उपकर मॉग एवं प्राप्ति रजिस्टर को तैयार न करनाः—

परिषद द्वारा शराब उपकर मॉग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग सोलन हिमाचल प्रदेश से वर्षानुसार शराब उपकर की कितनी राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी और कितनी राशि प्राप्त की गई है और कितनी राशि मार्च 2013 तक लेनी शेंष है। अतः स्वतः स्पष्ट शराब उपकर मॉ एवं प्राप्ति रजिस्टर शीध्र तैयार किया जाए और उस रजिस्टर में वर्षानुसार शराब उपकर की मॉग एवं प्प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

8.10 भवन नक्शा पारित शुल्क की ₹363788 की वसूली न करनाः—

नोटिफिकेशन संख्या टी0सी0पी0—ए(3) 1／2003 दिनांक 26.2.2007 के प्रावधान संख्या (ए) के अनुसार बिल्डिंग नक्शा पास करवाने वाले व्यक्ति से Plot Development Fees @ `5-00

प्रति Sqm. Of plot Area की दर से ली जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण में जॉच में पाया गया कि सम्बन्धित व्यक्ति नियमानुसार यह नहीं ली गई थी जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को ₹363787.55 की हानि हुई जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ग" पर दिया गया है। अतः नक्शा पास करवाने वाले व्यक्ति से plot Development Fees @ `5-00 प्रति Sqm. Of plot area न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर नगर परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

8.11 मोबाईल टावर शुल्क ₹105000.00 की कम वसूलीः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-Dev-IT 2005 (Misc) दिनांक 22.8.2006 और निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0–एच(ए)(7)–1/2006–10396–10445–46 दिनांक 25.9.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल टावर लगाने हेतु ₹10000.00 स्थापना शुल्क तथा ₹5000.00 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक पॉच वर्षों के उपरान्त वार्षिक नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की वृद्धि की जाएगी। मोबाईल टावर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा मोबाईल टावर के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क में नियमानुसार 25**%** की वृद्धि नहीं की गई थी, अर्थात निम्न मामलों में विभिन्न कम्पनियों से दिनांक 31.3.2013 तक ₹105000.00 की राशि मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क की वसूली हेतु शेष थी। अतः नवीनीकरण शुल्क की शीध्र वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

कम्पनी का नाम	मोबाईल टावर की स्थापना का वर्ष	पॉच वर्ष के उपरान्त नियम वर्ष	दिनांक 31.3. 2012 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2012–13 के दौरान मॉग @25**%** की बढ़ौतरी के उपरान्त नीवीनकरण शुल्क	कुल योग	राशि जो वर्ष 2012–13 के दौरान जमा की गई	दिनांक 31. 3.2013 को वसूली योग्य शेष
M/S Disnet wireless Ltd. (Aircel)	2007–08	2012–13	10000	6250	16250	–	16250
M/S Tata Indicom Ltd.	2007–08	2012–13	5000	6250	11250	–	11250
M/S Bharti Airtel Ltd.	2007–08	2012–13	5000	6250	11250	–	11250

BSNL	2009—10	2014—15	15000	5000	20000	—	20000
M/S Tilipit Services LTD.	2007—08	2012—13	15000	6250	21250	—	21250
M/S Bharti infotel LTD.	2008—09	2013—14	15000	5000	20000	—	20000
M/S LG Electronics India PVT. LTD.	2010—11	2015—16	—	5000	5000	—	5000
					कुल देय राशि		105000

9 संस्थापना

9.1 हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियिम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर ₹3029913.00 का अनाधिकृत रूप से व्यय किया जानाः—

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1)(ग) के अनुसार "संस्थापना पर व्यय, परिषद के कुल व्यय से एक तिहाई भाग से अधिक नहीं किया जाने का प्रावधान किया गया था । नगर परिषद के व्यय की पड़ताल पर पाया गया कि वर्ष 2011—12 के दौरान कुल व्यय 10704282/— में से ₹6598007.00 संस्थापना पर व्यय उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत किया गया अर्थात ₹3029913/— का अनाधिकृत व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियिम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और आगामी वर्ष के दौरान संस्थापना पर व्यय उपरोक्त धारा अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही प्रावधानों के विपरीत अनाधिकृत तरीके से किए गए ₹3029913/— के व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए।

Sr. No.	**Period**	**Total Expenditure from own sources**	**Expenditure on Establishment**	**% of Establishment Expenditure to the Total Expensditure**	**Admissible expenditure on Establishment i.e. 1/3rd of total expenditure**	**Irregular Expenditure on Establishment**
1	04/2011 to 03/2012	10704282	6598007	61.41%	3568094	3029913

10 निर्माण कार्य

10.1 निर्माण कार्य पर स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक ₹23376807.00 का अनाधिकृत व्ययः—

निर्माण कार्य की जॉच में पाया गया कि निर्माण कार्य पर स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक ₹23376807/— का अनाधिकृत व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः स्वीकृत बजट प्रावधानों से अधिक निर्माण व्यय पर व्यय बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः अनाधिकृत रूप से किए गए उक्त व्यय का सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

वर्ष	निर्माण व्यय हेतु बजट प्रावधान	निर्माण व्यय हेतु वास्तविक व्यय	निर्माण व्यय हेतु अधिक व्यय
2012—13	32800000	56176807	23376807

10.2 मजदूरों की कार्य प्रगति सूचना (Work Progress Report वेतन बिल के साथ संलग्न न करने बारेः—

निर्माण कार्य से सम्बन्धित तय मापदंडों के अनुसार कार्यरत्त मजदूरों के वेतन बिलों के साथ उन मजदूरों की मासिक कार्य प्रगति सूचना (Work Progress Report) संलग्न की जानी अपेक्षित है और इस कार्य प्रगति सूचना को माप पुस्तिका में भी प्रविष्टी की जाती है, जिससे उनके द्वारा मास के दौरान किए गए कार्य की पुष्टि की जा सके। वर्ष 2011—12 एवं 2012—13 के वेतन बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद में कार्यरत्त मजदूरों की मासिक कार्य प्रगति सूचना (Work Progress Report) मासिक वेतन बिलों के साथ संलग्न की गई थी और न ही माप पुस्तिका में दर्ज की गई थी। जिसके अभाव में यह जॉच नहीं की जा सकी कि इन मजदूरों द्वारा वास्तव में क्या कार्य किया गया था। नग्रर परिषद द्वारा इन मजदूरों को वर्ष 2011—12 और 2012—13 के दौरान ₹3571896 का भुगतान किया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः कार्यरत्त मजदूरों (रेगुलर) की मासिक कार्य प्रगति सूचना (Work Progress Report) मासिक वेतन बिलों के साथ संलग्न न करने का कारण स्पष्ट किया जाए और मजदूरों को वर्ष 2011—12 और 2012—13 के दौरान किए गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

वर्ष	नगर परिषद कार्यरत्त मजदूरों (रेगुलर) की सं0	मासिक वेतन	माह	कुल वेतन	टिप्पणी
2011—12	10	133054	12	1596648	मजदूरों की मासिक वेतन राशि नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार
2012—13	10	164604	12	1975248	मजदूरों की मासिक वेतन राशि नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार
		कुल योग		**3571896**	

10.3 संविदाकार को Foam Work हेतु अनुचित भुगतानः—

वाऊचर संख्या 25 दिनांक 13.2.2013 ₹357245

वाऊचर संख्या 26 दिनांक 13.2.2013 ₹386683

वाऊचर संख्या 27 दिनांक 13.2.2013 ₹643684

वाऊचर संख्या 34 दिनांक 13.2.2013 ₹426069

वाऊचर संख्या 35 दिनांक 13.2.2013 ₹496244

वाऊचर संख्या 36 दिनांक 20.2.2013 ₹479317

वाऊचर संख्या 63 दिनांक 20.2.2013 ₹426307

वाऊचर संख्या 63 दिनांक 20.2.2013 ₹439195

वाऊचर संख्या 63 दिनांक 20.2.2013 ₹437408

वाऊचर संख्या 70 दिनांक 29.2.2013 ₹450414

उपरोक्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अन्तिम चलित बिल की जॉच करने पर पाया गया कि सीमेन्ट कंक्रीट रोड के लिए मद संख्या 1 i.e P/ Foam work, edges of slab हेतु निम्न भुगतान किया गया था जबकि मान्य सिद्वातों के अनुसार कंक्रीट रोड के निर्माण हेतु केवल साईडों हेतु Foam Work भुगतान योग्य है और कंक्रीट रोड के लिए अन्य कोई भुगतान Foam Work के लिए देय नहीं था। चलित बिलों की पड़ताल में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए कंक्रीट रोड RD से अधिक मात्रा के लिए Foam Work का भुगतान

संविदाकार को करने को न्यायोचित ठहाया जाए अन्यथा विभागीय छानबीन के उपरान्त Foam Work की अधिक मात्रा जिसका भुगतान संविदाकार को किया जा चुका है की वसूली सुनिश्चित की जाए।

Name of work	MB No. PNo.	RD (in mtr)	P/Foam work (in Rmt)	Quantity of foam work to be justified
Providing & Fixing cement cone on Road in Sec-04, Parwanoo Near Block No. 31 towards Shiv Temple	64003	0/0 to 0/90	2x90.00=180RMT 19x4.6 (Avg)=87.40 Rmt Total =267.40x₹98.00 =₹26205	87.40Rmt
C/O CC Road Near House No. HIG-31 to DAV School RD 0/90 to 0/175 mtrs	64008	0/90 to 175.50	2x85.50=171Rmt 19x4.60(Avg)=87.40 Rmt Total= 258.40x₹98=₹26205	87.40 Rmt
C/O Inner Road Near Hose MIG-146 towards Temple Park side R/D 0/0 to 0/84.40 mtrs	64015	0/0 to 0/84.40	3x84.40=253.20 28x6=168 Total 421.20x₹98=₹41227	1x84.40=84.40 Rmt 28x6=168Rmt Total=252.40Rmt
C/O cement cone on road Near Trivani Casting Factory side RD 0/207 to 0/265, Parwanoo	65031	0/207 to 0/265	3x28x0.23=19.32m2 4x4x0.23=3.68m2 5x3.50x0.23=4.02m2 3x30x0.23=20.70m2 5x3.50x0.23=4.02 m2 5x3.35x0.23=3.85m2 Total=55.59m2 Total Payment=55.59m2x₹258 per m2=14342	1x28x0.23=6.44 ms 4x4x0.23=3.68m2 5x3.50x0.23=4.02 m2 1x30x0.23=6x90 m2 5x3.50x0.23=4x02 m2 5x3.35x0.23= 3.85 m2 Total= 28.91 m2
C/O cement cone on road Near Trivani Casting Factory side RD 0/265 to 0/318, Parwanoo	65035	0/265 to 0/318	3x13x0.23=8.97m2 4x3.75x0.23=3.45 m2 3x30x0.23=20.70 m2 10x4x0.23=9.20 m2 3x12x0.23=8.28 m2 3x3.75x0.23=2.58 m2 Total=53.18m2 Total Payment =53.18 m2x₹258 per	1x13x0.23=2.99m2 4x3.75x0.23=3.45 m2 1x30x0.23=6.90 m2 10x4x0.23=9.20 m2 1x12x0.23=2.76 m2 3x3.75x0.23=2.58 m2

			m2=13720	Total=27.88m2
C/O cement cone on road Near Trivani Casting Factory side RD 0/318 to 0/370, Parwanoo	65041	0/318 to 0/370	3x6x0.23=4.14 m2 2x3.40x0.23=1.56 m2 3x16x0.23=11.04 m2 5x3.60x0.23=4.14 m2 3x13x0.23=8.97 m2 4x3.65x0.23=3.35 m2 3x14x0.23=9.66 m2 4x3.35x0.23=3.08 m2 3x11x0.23=7.59 m2 2x3.55x0.23=1.63 m2 Total 55.16 m2 Total Payment= 55.16 m2x₹258 per m2=14231	1x6x0.23=1.38 m2 2x3.40x0.23=1.56 m2 1x16x0.23=3.68 m2 5x3.60x0.23=4.14 m2 1x13x0.23=2.99 m2 4x3.65x0.23=3.35 m2 1x14x0.23=3.22 m2 4x3.35x0.23=3.08 m2 1x11x0.23=2.53 m2 2x3.55x0.23=1.63 m2 Total 27.56 m2
C/O cement cone Road Back side of Trivani casting Factory Plot No. 53.54 Sector 5, RD 0/184 to 0/228 mtrs, Parwanoo.	64060	0/184 to 0/228	3x36x0.23=24.84 12x4.44x0.23=12.55 3x8x0.23=5.52 2x5.60x0.23=2.57 Total 45.48 m2 Total Payment= 45.48 m2 x ₹258 per m2 11733.84	1x36x0.23=8.28 12x4.44x0.23=12.55 1x8x0.23=1.84 2x5.60x0.23=2.57 Total 25.24 m2
C/O cement cone Road Back side of Trivani Casting Factory Plot No. 53.54 Sector 5, RD 0/228 to 0/271 mtr, parwanoo	64067	0/228 to 0/271	3x22x0.23=15.18 4x5.60x0.23=5.15 3x6.50x0.23=4.48 2x6.40x0.23=2.94 3x14.50x0.23=10.00 4x5.60x0.23=5.15 Total= 42.90 m2 Total Payment= 42.90m2x ₹258 per m2= 11068.20	1x22x0.23=5.06 4x5.60x0.23=5.15 1x6.50x0.23=1.49 2x6.40x0.23=2.94 1x14.50x0.23=3.33 4x5.60x0.23=5.15 Total= 23.12 m2
C/O cement cone Road Back side of Trivani	64074	0/271 to 0/313	3x42x0.23=28.98 14x5.50x0.23=18.03	1x42x0.23=9.66 14x5.50x0.23=18.03

Casting Factory Plot No.			Total 47.01 m2	Total 27.69 m2
53-54 Sector 5, RD 0/271			Total Payment 47.01 msx ₹258 per	
to 0/313 mtr, parwanoo			m2=12128.58	
C/O cement cone Road	65, 45 ls	0/313 to	3x6x0.23=4.14	1x6x0.23=41.38
Back side of Trivani	49	0/370	2x3.40x0.23=1.56	2x3.40x0.23=1.56
Casting Factory Plot No.			3x16x0.23=11.04	1x16x0.23=3.68
53-54 Sector 5, RD 0/313			5x3.60x0.23=4.14	5x3.60x0.23=4.14
to 0/348 mtr, parwanoo			3x13x0.23=8.97	1x13x0.23=2.99
			4x3.65x0.23=3.35	4x3.65x0.23=3.35
			3x14x0.23=9.66	1x14x0.23=3.22
			4x3.35x0.23=3.08	4x3.35x0.23=3.08
			3x11x0.23=7.59	1x11x0.23=2.53
			2x3.55x0.23=1.63	2x3.55x0.23=1.63
			Total 55.16 m2	Total 27.56 m2
			Total Paymeny= 55.16x₹28 per m2	
			=14231.28	

10.4 खुदाई से निकाले गये प्रयोग योग्य पत्थरों के सम्बन्ध में संविदाकार के वर्कस बिल से कोई कटौती न करने बारे। (C/O Dueshera Ground Sector-5 Parwanoo Sh:- Earth Cutting in leveling of left side)

वाऊचर संख्या 56 दिनांक 18.2.2013 ₹344683

तय मापदण्डों के अनुसार "Cutting in Earth work in all height/depth in all kind of Soil" मद के किए गए कार्य से प्रयोग योग्य प्राप्त पत्थरों की वर्कस बिल से कटौती की जानी अपेक्षित थी। उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रथम और अतिंम चलित बिल की जॉच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 65 पृष्ठ संख्या 017 पर मद संख्या 1 के लिए श्री वरिन्दर शर्मा, संविदाकार को मात्रा 1814.12 एम3 दर 190.00 प्रति घन मी0 की दर से ₹344683 की राशि का भुगतान किया गया था, और उनके वर्कस बिल में से किसी भी प्रकार की प्रयोग योग्य पत्थरों के सम्बन्ध में कोई भी कटौती नहीं की गई थी, इस प्रकार तय मापदंडों की अनदेखी करके अनियमित ढ़ग से संविदाकार को अनुचित लाभ दिया गया। अतः संविदाकार द्वारा किये गये कार्य "Cutting in Earth work in all height/depth in all kind of soil" नियमानुसार से प्रयोग योग्य प्राप्त पत्थरों के मूल्य की कटौती न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

10.5 ₹2019.00 का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्यः– "C/O r/wall in sector 3 near experimental houses below houses and upper side of kamli road in steps" के सम्बन्ध में।

वाऊचर संख्या 49 दिनांक 28.2.2012 ₹1174758 (सब वाऊचर 5 ₹155890)

₹155890/– का भुगतान श्री मौइद्दीन अंसारी संविदाकार को निर्माण कार्य "C/O r/wall in sector 3 near experimental houses below houses and upper side of kamli road in steps" के सम्बन्ध में प्रथम एवम अतिंम चलित बिल के तहत किया गया। माप पुस्तिका संख्या 51, पृष्ठ संख्या 87 से 92 की जॉच करने पर पाया गया कि मद संख्या 6 i.e. stone filling/boulder stone behind retaining wall (3rd step) और मद संख्या 4 i.e. R/R masonary with hard stone (3rd step) की प्रमात्रा आपस में मिलान नहीं होती है अर्थात R/R masonary with hard stone (3rd step) की मात्रा 1x4.90x2.50+0.90/2x2.30 का निष्पादन किया गया था जबकि मद संख्या 6 i.e. stone filling/ boulder stone behind retaining wall (3rd step) की निष्पादित मात्रा 1x4.90x.00.60x3.00=8.82 ली गई थी वस्तुतः रिटेनिंग दीवार की ऊचांई 2.30 मीटर थी व रिटेनिंग दीवार के पीछे पत्थरों की भराई 3 मीटर की ऊंचाई तक की गई थी। अतः दीवार के पीछे पत्थरों की भराई रिटेनिंग दीवार से ऊंचाई से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। इस प्रकार अधिक भुगतान की गई मात्रा 2.06 घन मीटर का विवरण निम्न दिया गया है। अतः संविदाकार को 2.06 घन मी0 @₹980.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹2019.00 का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

Stone filling/boulder stone behind retaining wall (3rd step)

As per एम0बी0 संख्या 51 पृष्ठ संख्या 90	**प्रमात्रा जो रिटेनिंग दीवार की ऊंचाई 2.30 मीटर अनुसार ली जानी चाहिए थी**	**अधिक भुगतान की गई मात्रा**
1x4.90x0.60x3.00=8.82 घन मी0	1x4.90x0.60x2.30=6.76 घन मी0	2.06 घन मी0 दर 980/=प्रति घन मी0

10.6 संविदाकार को ₹2340.00 का अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्यः– "C/O CC road in sector 4, Parwanoo near house of 190 from block No. 1 toward block No. 5-6" के सम्बन्ध में।

वाऊचर संख्या 49 दिनांक 28.2.2012 ₹1174758 (सब वाऊचर 5 ₹281827)

₹281827/– का भुगतान श्री अशुंमन संविदाकार को निर्माण कार्य "C/O C.C. road in sector 4, Parwanoo near house of 190 from block No. 1 toward block No. 5-6" के सम्बन्ध में प्रथम एवम अतिंम चलित बिल के लिए किया गया। माप पुस्तिका संख्या 52, पृष्ठ संख्या 53 से 55 की जॉच करने पर पाया गया कि मद संख्या 2 i.e. from work of steel plates welded in built up sections so to give smooth finish" न तो की गई खुदाई से न ही डाली गई सी0सी0 की मात्रा से मिलान करती थी अर्थात from work of steel plates welded in built up sections की मात्रा 15x3x0.20=9 वर्ग मीटर का निष्पादन किया गया था जबकि मद संख्या 1 cutting in earth work तथा मद संख्या 3 P/L C.C. 1:6:12 में इस प्रकार की किसी भी मात्रा का निष्पादन नहीं किया गया था। अतः मद from work of steel plates welded in built up sections 9 वर्ग मीटर कार्य @₹260.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से 2340 का अधिक भुगतान किया गया, इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार/उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Cutting in earth work	**From work of steel plates**	**P/L C.C 1:6:12**
R.D 0 to 84.70 i.e. 61x1x0.30	2x84.70x0.20 15x3x.2 (needs justification) (दर 260/– प्रति वर्ग मीटर)	C.C is done only in 84.70 meter

10.7 स्टील के गलत Conversion factor लगाए जाने के कारण ₹5142.00 का संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को सम्भावित अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 43 दिनांक 23.2.2012 ₹99862

₹99862.00 का भुगतान श्री देश राज बेल्डिंग वर्कस, परवाणु को उनके बिल संख्या 347, 348, 349 एवं 350 के लिए ₹3506961.00, ₹72099.00, ₹6142.00 और ₹14660.00 हेतु स्टील से बनाई गई विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वाऊचर संख्या 43 दिनांक 23.2.2012 द्वारा किया गया था। उपरोक्त स्टील वस्तुओं का ईन्द्राज माप पुस्तिका संख्या 51 पृष्ठ संख्या 96 से 99 पर किया गया था। माप पुस्तिका की जॉच में पाया गया कि angle, flat व channel को रनिंग फूट से किलोग्राम में प्रवर्तित करते समय गलत conversion factor लगाया गया था, जिसके कारण ₹5142.00 अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया, इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है।

Sr. No.	M.B. 51 page No.	Item	Total quantity as per M.B. (in kg)	Quantity as per M.B	Specified conversion factor (Kg per rmt)	Quantity required to be taken (Kg)	Excess quantity	Rate	Total
1	96	Angle 40x40x5	589	589 rft i.e. 179.50 rmt	3 Kg per rmt	535.50	52.50	30	1575
2	96	Flat 20x5	182.40	608 rft i.e. 185.31 rmt	0.8 Kg per rmt	148.25	34.15	60	2049
3	97	Channel	102	34 rft i.e. 10.40	9.2 Kg per rmt	95.70	6.30	60	378
4	98	Channel	85.5	47.5 rft i.e. 14.48 rmt	Kg per rmt	82.50	3	60	180
5	99	Angle 40x40x5	180	180 rft i.e. 54.86 rmt	3 Kg per rmt	164.60	16	60	960
							कुल योग		**5142**

अतः अधिक किए गए भुगतान ₹5142.00 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

10.8 खुदाई से निकाले गये प्रयोग योग्य पत्थरों के सम्बन्ध में संविदाकार के वर्कस बिल से कोई कटौती न करना एवं Excavation in EW, i.e. P/Foam work और i.e. P/L CC 1:5:10, 1:6:12 और 1:2:4 का अपास में मिलान न करने के कारण ₹7331/– का सम्भावित अधिक भुगतानः–

Name of work:- फिक्सिग ऑफ ग्रिल इन सैक्टर 5 अॅड औग्मेन्टेसन ऑफ रेटइनिंग वाल अॅड improvement ऑफ पाथ इन सैक्टर 5 नियर ब्लॉक संख्या 1 व 2।

वाऊचर संख्या 51 (सब वाऊचर संख्या 1 ₹241919.00) दिनांक 28.2.2012

(1) तय मापदण्डों के अनुसार "Cutting in earth work in pick jumper work up to 1.5 meter & stacking the excavated soil with a lead of 20 meter" मद के भुगतान के समय संविदाकार द्वारा किए गये कार्य की मात्रा में से प्रयोग योग्य पत्थरों के सम्बन्ध में संविदाकार के वर्कस बिल से कटौती की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रथम और अतिंम चलत बिल की जॉच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 52 पृष्ठ संख्या 056 पर मद संख्या 1 के लिए श्री संजय गर्ग, संविदाकार को मात्रा 135.65 एम3 दर 180.00 प्रति घन मी0

की दर से ₹24417.00 का भुगतान किया गया था, और उनके वर्कस बिल में से किसी भी प्रकार की प्रयोग योग्य पत्थरों के सम्बन्ध में कोई भी कटौती नहीं की गई थी, इस प्रकार तय मापदण्डों की अनदेखी करके अनियमित ढ़ंग से संविदाकार को अनुचित लाभ दिया गया। अतः संविदाकार द्वारा किए गये कार्य "Cutting in earth work" की मात्रा में से प्रयोग योग्य पत्थरों के सम्बन्ध में वर्कस बिल से कटौती न करने को न्यायोचित ठहराया जाए।

(2) मद संख्या 2 i.e. Excavation in EW, मद संख्या 3 i.e. P/foam work, और मद संख्या 4, 5, 6 i.e. P/L CC, आपस में मिलान नहीं होती है जिसका पूर्ण ब्यौरा निम्न दिया गया है जबकि मान्य सिद्वान्तों के अनुसार इन मदों का आपस में मिलान होना आवश्यक है। अतः प्रत्येक मद जिसका विवरण निम्न दिया गया है, के भुगतान को न्यायोचित ठहराने व विभागीय जांच–पड़ताल करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 44/पी0डी0एन0/2013 दिनांक 20.8.2013 द्वारा कहा गया था। इस अंकेक्षण अधियाचना के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी परवाणु के पत्र संख्या एम0सी0/पी0डब्लयू0एन0/2013–1850 दिनांक 23.8.2013 द्वारा दिये गए उत्तर एवं चर्चा में स्वीकार किया कि Foam work की कुल निष्पादित की गई मात्रा की गणना करते समय 7.82 वर्ग मी0 मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त सी0सी0 1:2:4 की गलत गणना करने के कारण 1.60 घन मी0 कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था। इस प्रकार 7.82 वर्ग मी0x₹160=₹1251/– का फोम वर्क के रूप में व 1.60 घन मी0x₹3800=₹6080/–सी0सी0 1:2:4 के रूप में कुल ₹7331/– (₹1251+₹6080) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Excavation EW	P/Foam work (quantity in square meters)	P/L CC 1:6:12 (quantity in cubic meters)	P/L CC 1:5:10 (quantity in cubic meters)	P/L CC 1:2:4 (quantity in cubic meters)
1x8.10x1.5x0.40	2 (1.20+0.60x0.60=2.16	1x8.10x1.50x0.23=2.80	1x10x4x0.15=6 (required to be justified)	1x10.60x0.6+0.5/2x 1.3=7.57
34x.60x0.60x0.60	5(2)(2.40+0.50)x.6=17.40		1x1.20x0.60x.55=7.35	1x30x0.6x.10=1.80 (required to be justified)
	1x8.10x1.6=12.96		5x2.40x0.50x0.6=3.96	1x34x0.60x0.60x0.60=7.34
	1x8x.7=5.60 (required to be justified)		1x8.10x0.9+1.20/2x1.80=15.30	1x1.2x0.8x2=1.92 (required to be justified)
	1x10.60x1.30=13.78		1x8.00x0.9+0.5/2x0.7	1x1.20x0.6x1.30=9

	=3.92 (required to be justified)	3 (required to be justified)
2x30x0.2=12 (required to be justified)	Rate per cu. Meter ₹2400.00	1x37x2+1.80/2x.10 =7.03 (required to be justified)
1x1.20x2.10=2.52 (required to be justified)		1.80x0.60x1.30=1.40 (required to be justified)
1x1.20x1.30=1.56 (required to be justified)		1x240x0.60x.5+1.50/2=1.44 (required to be justified)
1x1.80x1.30=2.34 (required to be justified)		1x1.25x0.60x0.7+1.2/2 0.63 (required to be justified)
1x2.40x0.50+1.50/2=2.40 (required to be justified)		1x4.10x0.45x0.4+1.20/2=1.47
1x1.25x0.7+1/2=1.07 (required to be justified)		1x1.1x0.45x0.5+1/2 =37
1x4.10x0.4+1.20/2=3.28 (required to be justified)		1x1.20x0.45x0.5+1/2=.40
1x.1x0.5+1/2=0.83 (required to be justified)		1x1.15x0.45x0.35+0.65/2=.36
1x1.2x0.5+1/2=0.90		3x1.50x0.23x0.20=20
1x1.15x0.5+1/2=0.87		Rate per cu. Metter ₹3800/-
1x1.60x0.4+0.7/2=88 (required to be justified)		
Rate per sq. meter ₹160		

10.9 Excavation in foundation trenches व P/L light duty non-pressuire pipe 300mm dia का सम्भावित अनियमित/अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्यः– "Prividing external sewerage system sector, 5 Parwanoo near ind. Plot No. 12 to ind. Shed side R/D 0/0 to R/D 0/250"

वाऊचर संख्या 55 दिनांक 18.2.2013 राशि ₹662028/–

₹662028/– का भुगतान श्री विरेन्दर शर्मा संविदाकार को निर्माण कार्य "Prividing external sewerage system sector, 5 Parwanoo near ind. Plot No. 12 to ind.

Shed side R/D 0/0 to R/D 0/250" के सम्बन्ध में प्रथम चलत बिल के लिए किया गया था। माप पुस्तिका संख्या 61 पृष्ठ संख्या 93 से 95 की जॉच करने पर पाया गया किः–

(1) मद संख्या 2 i.e. "Excavation in foundation trenches" अर्थात 300 एमएम की पाईप को डालने के लिए 178 आर0एम0टी0 (running Meter) खुदाई, जो कि मीटर 1.80 चौड़ाई में माप पुस्तिका संख्या 61, पृष्ठ संख्या 93 की रिकार्ड एंट्री अनुसार 1x178x1.80x1.60=512.64 घन मी0 कार्य मात्रा जिसका भुगतान ₹265 प्रति घन मीटर की दर से संविदाकार को किया गया था। जबकि तय मानकों अनुसार ट्रैंच की चौड़ाई (30+40) अर्थात 70 CM" width of the trench should be the nominal dia meter of the pipe+40 cm but not less than 55 cm" किया जाना अपेक्षित था। अतः तय मानकों अनुसार 1x178x0.70x1.60=199.36 घन मीटर का भुगतान संविदाकार को किया जाना अपेक्षित था और संविदाकार को 313.28 घन मीटर का ₹83019/– (313.28 एम3 ₹265) अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा विभागीय छानबीन के उपरान्त अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार/उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(2) इसके अतिरिक्त manhole की मात्रा को मद संख्या 3 i.e. P/L light duty non-pressure pipe 300mm dia की मात्रा से घटाया नहीं गया था जिसके फलस्वरूप मद संख्या 3 हेतु अधिक मात्रा का भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान की अपने स्तर पर गणना करके राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

10.10 निर्माण बिलों से लैबर सैस (Labour cess) ₹86235.00 की कटौती न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश भवन एवम अन्य कामगर कल्याण सैस अधिनियम 1996 की धारा 3, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4–6/2007–बी0ओ0वी0डब्लयू0–पी0टी0–एल0 दिनांक 4.12.2008 के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार निर्माण लागत/कार्य का एक प्रतिशत की कटौती आवश्यक रूप से लेबर सैस (Labour cess) के रूप में की जानी अपेक्षित थी। वर्ष 2011–12 के लिए चयनित माह 02/2012 से सम्बन्धित निर्माण बिलों के अंकेक्षण में पाया कि निर्माण बिलों के भुगतान के समय लेबर सैस (Labour cess) की कटौती नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 36 दिनांक 03.08.2013 से यह सूचना मॉगी गई कि किस अवधि के लिए निर्माण बिलों से उपरोक्त लेबर सैस की कटौती नहीं की गई है। इस बारे में कार्यकारी अधिकारी, परवाणु द्वारा पत्र संख्या एम0सी0/परवाणु/2013–1732 दिनांक 8.8.2013 से सूचित किया गया कि अवधि 04/2011 से 02/2012 तक संविदाकारों के निर्माण बिलों सें ₹86235. 00 लेबर सैस की कटौती नहीं की गई थी। जिन संविदाकारों के निर्माण बिलों से लेबर सैस

की कटौती नहीं की गई है उन सब का विवरण परिशिष्ट "च" पर दिया गया है। अतः अवधि 04/2011 से 02/2012 तक संविदाकरों के निर्माण बिलों से लेबर सैस की कटौती न करने को न्यायोचित ठहराया जाए एवं कृत कार्यवाही से इस विभाग को अतिशीध्र सूचित किया जाए।

11 बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर में गलत गणना करने के कारण ₹1029.00 की वित्तीय हानिः–

बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर में शेष कम दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर में बिजली के सामान की गणना कम करने के कारण नगर परिषद को ₹1028.93 या ₹1029.00 की वित्तीय हानि हुई। इसके अतिरिक्त बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर में गणना कम करने के कारण बिजली के सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर में कम गणना करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा कम दर्शाई गई मात्रा की कीमत की वसूली उचित माध्यम से करके नगर परिषद निधि में शीध्र जमा करवाई जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

मद का नाम	दिनांक	स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	स्टॉक रजिस्टर मे ंली गई मात्रा (मी0)	स्टॉक रजिस्टर मात्रा जो लीं जानी चाहिए थी (मी0)	कमी/स्टॉक (मी0)	बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर अनुसार बिजली दर प्रति मी0	कुल राशि
पी0वी0सी0 वायर	21.4.10	46	270	360	90	10	900
	2.9.11	48	500	505	5	10.55	52.75
	4.2.12	48	320	326	6	10.55	63.30
फ्लैक्सिबल वायर	19.5.12	65	शून्य	2	2	6.44	12.88
					कुल योग	**1028.93 or say 1029**	

12 हिमाचल प्रदेश पैन्शन, ग्रेच्युटी एवं जी0पी0एफ0 रूल्स 2000 के नियम 3 के अनुसार नियोक्ता अंशदान ₹2050194.05 की राशि को पैन्शन, ग्रैच्युटी फंड में जमा न करवाने के सम्बन्ध मेंः–

हिमाचल प्रदेश पैन्शन, ग्रेच्युटी एवं जी0पी0एफ0 रूल्स 2000 के नियम 3 के अनुसार "A municipality shall make monthly contribution towards

Pension & Gratuity Fund @ 12% and 5% respectively on the maximum of the time pay scale of employees of the municipality."

परिषद द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 1.12.2009 को दिया गया था। हिमाचल प्रदेश पैन्शन, ग्रेच्युटी एवं जी0पी0एफ0 रूल्स 2000 के नियम 3 के अनुसार अवधि 01.01.2006 से 01.11.2009 के लिए देय संशेधित वेतनमान परपैन्शन ग्रेच्युटी नियोक्ता शेयर की राशि को परिषद निधि से पैन्शन एवं ग्रैचुइटी निधि में हस्तांतरित किया जाना चाहिए था। नगर परिषद के पैन्शन ग्रेच्युटी एवं जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 01.01.2006 से 1.11.2009 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतनमान पर देय पैन्शन, ग्रेच्युटी का नियोक्ता अंशदान, पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में ₹2050194.05 कम हस्तांतरित की गई थी। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ङ" पर संलग्न किया गया है। अतः ₹2050194.05 को पैन्शन ग्रेच्युटी फंड हस्तांतरित नहीं करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं इस राशि को नियमानुसार अतिशीघ्र पैन्शन ग्रेच्युटी फंड में हस्तांतरित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

13 वाहनों में डीजल टैंक की क्षमता से डीजल की अधिक भराई करना व तय औसत प्रति लीटर से कम औसत दिखाया जाना:–

(क) बोलेरों गाड़ी संख्या एच0पी0 15 बी –3535 व डंपर प्लेसर संख्या एच0पी0–15–9333 की लॉग बुक की जांच करने पाया गया कि उक्त गाड़ियों के डीजल टैंक की क्षमता से अधिक ईंधन की भराई की गई थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। डीजल टैंक की क्षमता से डीजल की अधिक भराई किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा विभागीय छानबीन करके सम्बन्धित कर्मचारी से अधिक भराई के एवज में वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

Vehicle No. HP-15 B-3535 (Bolero JEEP)

Date	**Capacity of the diesel tank (litters)**	**Balance shown in tank (Liters)**	**Excess Diesel filled in tank (letters)**
30.4.2011	55	66.86	11.86
31.5.2011	55	77.74	22.74
31.10.2011	55	58.5	3.5
31.7.2012	55	85.38	30.38
Vehicl No. HP-15-9333 (Dumper/Placer)			
30.11.2011	90	134	44

30.12.2011	90	120	30
30.01.2012	90	95	5
		Total excess fuel	147.48

(ख) अंकेक्षण अधियाचना संख्या 22/पी0डब्लयू0एन0/2013 दिनांक 23.7.2013 के तहत विभिन्न गाड़ियों की तय औसत प्रति लीटर के बारे में सूचना मांगी गई थी तथा कार्यकारी अकधकारी द्वारा नगर परिषद की विभिन्न गाड़ियों की तय औसत प्रति लीटर के बारे में पत्र संख्या 22/पी0डब्लयू0एन0/2013–1596 दिनांक 31.7.2013 के माध्यम से वांन्छित सूचना उपलब्ध करवाई गई थी प्रस्तुत सूचना के अवलोकन में पाया गया कि बोलेरों गाड़ी संख्या एच0पी0–15 बी–3535 की औसत 10 किलोमीटर प्रति लीटर थी परन्तु अंकेक्षण अवधि 2011–12 व 2012–13 के निम्न माहों गाड़ी औसत प्रति लीटर कम दर्ज की गई थी जिसके फलस्वरूप ईंधन का अधिक खपत दिखाई गई थी। अतः निम्न विवरण अनुसार अधिक की गई खपत 517.54 लीटर को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा विभागीय छानबीन करके सम्बन्धित कर्मचारी से अधिक खपत के एवज में वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

Vehicle No. HP-15 B-3535 (Boloro Jeep) regaring average

Month	**Vehicle plied (Kms) during month**	**Diesel consemed**	**Actual average per liter**	**Average as informed by M.C. authorities vide letter No. Audit memo 22/PWN/2013-1596**	**Diesel required to be consumed**	**Excess consumption (liters)**
April, 11	1107	138.38	8	10	110.7	27.68
May, 11	1553	194.13	8	10	155.3	38.83
June, 11	2551	318.88	8	10	255.1	63.78
July, 11	463	57.88	8	10	46.3	11.58
August, 11	1104	138.00	8	10	110.4	27.60
Sep, 11	852	106.50	8	10	85.2	21.30
Oct, 11	1187	148.38	8	10	118.7	29.68
Nov, 11	1280	160.00	8	10	128	32.00
Dec, 11	1150	143.75	8	10	115	28.75
Jan, 12	1200	150.00	8	10	120	30.00

Feb, 12	875	109.38	8	10	87.5	21.88
March, 12	841	105.13	8	10	84.1	21.03
April, 12	1040	130.00	8	10	104	26.00
May, 12	841	105.13	8	10	84.1	21.03
June, 12	1296	162.00	8	10	129.6	32.40
July, 12	1877	234.63	8	10	187.7	46.93
Sep, 12	1723	190.18	9.06	10	172.3	17.88
Oct, 12	1359	155.14	8.76	10	135.9	19.24
						517.54

14 लधु आपत्ति विवरणिकाः–

यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लधु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही कर लिया गया।

15 निष्कर्षः–लेखों के रख रखाव में सुधार की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया जाता है कि परिषद की आय को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए व वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)66/79-खण्ड–5–188–190–दिनांक–04.01.2014, शिमला–171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को सूचनार्थ।
2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणू जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हि0प्र0 शिमला–3

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट "क"

अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा–7	निर्णीत	(परिषद द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा निर्णीत किया गया)
2	पैरा–9	निर्णीत	(परिषद द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा निर्णीत किया गया)
3	पैरा–9 (i) से (iii)	अनिर्णीत	
4	पैरा–15	अनिर्णीत	
5	पैरा–17	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा मॉग सम्पत्ति एवं सफाई कर रजिस्टर में दर्ज कर दी गई है, अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा निर्णीत किया गया)
6	पैरा–18	अनिर्णीत	
7	पैरा–19	अनिर्णीत	
8	पैरा–26	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90 टंकित करें।

1	पैरा–8	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरों निर्णीत किया गया)
2	पैरा–10	अनिर्णीत	
3	पैरा–11	अनिर्णीत	
4	पैरा–12	अनिर्णीत	
5	पैरा–13	अनिर्णीत	
6	पैरा–15	अनिर्णीत	
7	पैरा–22	अनिर्णीत	
8	पैरा–23	अनिर्णीत	
9	पैरा–26 (1)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरों निर्णीत किया गया)

10	पैरा–27	अनिर्णीत
11	पैरा–28	अनिर्णीत
12	पैरा–29	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/95

1	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–10 (क)	अशतः अनिर्णीत। ₹3714/–की वसूली शेष है।
13	पैरा–10 (ग)	अशतः अनिर्णीत। ₹19500/–की वसूली शेष है।
14	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (च)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (छ)	अशतः अनिर्णीत। ₹1250/–की वसूली शेष है।
18	पैरा–16 (7)	अनिर्णीत
19	पैरा–16 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा–16 (10)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत
22	पैरा–17 (3)	अनिर्णीत
23	पैरा–17 (4)	अनिर्णीत
24	पैरा–18 (i) (1)	अनिर्णीत
25	पैरा–18 (i) (2)	अनिर्णीत
26	पैरा–18 (1) (5) से 18 (1) (7)	अनिर्णीत
27	पैरा–18 (3) (4)	अनिर्णीत
28	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत

29	पैरा—18 (7) (3) से (13)	अनिर्णीत
30	पैरा—19 (1) (2)	अनिर्णीत
31	पैरा—19 (3) (i) (क)	अनिर्णीत
32	पैरा—19 (4)	अनिर्णीत
33	पैरा—19 (5) व (6)	अनिर्णीत
34	पैरा—19 (7) (1) (ख) (ग)	अनिर्णीत
35	पैरा—19 (7) (2) (3) (4) (5)(6)	अनिर्णीत
36	पैरा—19 (8) (क) (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत
37	पैरा—19 (9)	अनिर्णीत
38	पैरा—20 (1)	अनिर्णीत
39	पैरा—20 (6) (7)	अनिर्णीत
40	पैरा—22 (1)	अनिर्णीत
41	पैरा—22 (1) (क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ (1, 2, 3)	अनिर्णीत
42	पैरा—23 (2)	अनिर्णीत
43	पैरा—24 (1 से 7)	अनिर्णीत
44	पैरा—24 (12) (13)	अनिर्णीत
45	पैरा—25 (1) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
46	पैरा—25 (2) (i)(ii)(iii) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
47	पैरा—25 (2) (iv)	अनिर्णीत
48	पैरा—25 (3) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
49	पैरा—25 (3) (i) (ii)	अनिर्णीत
50	पैरा—25 (4) (5) (6)	अनिर्णीत
51	पैरा—26	अनिर्णीत
52	पैरा—27 (1) (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत
53	पैरा—27 (2) (3) (4) (5) (क) (ख)	अनिर्णीत
54	पैरा—28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेंदन अवधि 4/95 से 3/98

1	पैरा—3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ)	अनिर्णीत
3	पैरा—7 (क) (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा—9 (ख) (ग)	अनिर्णीत

5	पैरा—10 (क) (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा—11 (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा—13 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा—14 (क) (2)	अशतः अनिर्णीतं ₹1012/—को वसूली शेष है।
9	पैरा—14 (क) (3) (4)	अनिर्णीत
10	पैरा—15 (ख) (1) (2)	अनिर्णीत
11	पैरा—18 (घ) (ण)	अनिर्णीत
12	पैरा—20 (क) (i)(ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत
13	पैरा—20 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा—21 (क)	निर्णीत (₹200, की वसूली जी—8 रसीद संख्या 6/329 दिनांक 24.8.2013 तहत की गई)
15	पैरा—21 (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा—22 (क)	आंशिक रूप से निर्णीतं ₹12700/—को वसूली शेष है।
17	पैरा—22 (ख) 1, 2, 3	अनिर्णीत
18	पैरा—22 (ङ)	अनिर्णीत
19	पैरा—22 (च)	अनिर्णीत
20	पैरा—22 (घ) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)	अनिर्णीत
21	पैरा—23 (ग) (घ)	अनिर्णीत
22	पैरा—24 (ख) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)	अनिर्णीत
23	पैरा—24 (ग)	अनिर्णीत
24	पैरा—24 (घ) (i) (iii)	अनिर्णीत
25	पैरा—24 (ङ) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)	अनिर्णीत
26	पैरा—24 (च) (ii)	अनिर्णीत
27	पैरा—24 (ज) (झ) (ञ)	अनिर्णीत
28	पैरा—24 (ठ) (ड)	अनिर्णीत
29	पैरा—25 (ii)	अनिर्णीत
30	पैरा—27 (क) (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत
31	पैरा—28 (क) (ख)	अनिर्णीत
32	पैरा—29 (क) (ख) (घ)	अनिर्णीत
33	पैरा—30 (क) 1, 2	अनिर्णीत
34	पैरा—30 (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा—30 (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ)	अनिर्णीत

	(ञ)	
36	पैरा—31 (क) (ख)	अनिर्णीत
37	पैरा—32 (क)	अनिर्णीत
38	पैरा—34 (ए) (ii)	अनिर्णीत
39	पैरा—34 (बी) (ii)	अनिर्णीत
40	पैरा—34 (सी) (iii)	अनिर्णीत
41	पैरा—34 (डी) (ई) (एफ) (जी) (एच) (आई) (जे) (के) (एल)	अनिर्णीत
42	पैरा—34 (एन) (ओ) (पी)	अनिर्णीत
43	पैरा—34 (आर)	अनिर्णीत
44	पैरा—34 (एस से जैड तक)	अनिर्णीत
45	पैरा—34 (ए ए से के के तक)	अनिर्णीत
46	पैरा—34 (एम एम से आर आर)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2005

1	पैरा—5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा—5 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा—6 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा—6 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा—6 (4)	अनिर्णीत
7	पैरा—7 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा—7 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा—7 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा—7 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा—8 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा—8 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा—8 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा—9 (1)	अनिर्णीत
15	पैरा—9 (2)	अनिर्णीत
16	पैरा—9 (3)	अनिर्णीत
17	पैरा—9 (4)	अनिर्णीत

18	पैरा–9 (5) 1 से 3	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
20	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
21	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत
23	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
24	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
25	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
26	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
27	पैरा–10 (5)	अनिर्णीत
28	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
29	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
30	पैरा–11 (ग) 1 से 3	अनिर्णीत
31	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत
32	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
33	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत
35	पैरा–12 (4)	अनिर्णीत
36	पैरा–12 (5)	अनिर्णीत
37	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
38	पैरा–13 (5)	अनिर्णीत
39	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
40	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
41	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
42	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
43	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत
44	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
45	पैरा–16 (5)	अनिर्णीत
46	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत
47	पैरा–17 (2) (क)	अनिर्णीत
48	पैरा–17 (2) (ख)	अनिर्णीत
49	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत

50	पैरा—18 (2)	अनिर्णीत
51	पैरा—21	अनिर्णीत
52	पैरा—22	अनिर्णीत
53	पैरा—23 (ख)	अनिर्णीत
54	पैरा—23 (ग) (1)	अनिर्णीत
55	पैरा—23 (ग) (2)	अनिर्णीत
56	पैरा—23 (ग) (3)	अनिर्णीत
57	पैरा—23 (ग) (4) (1)	अनिर्णीत
58	पैरा—23 (ग) (4) (2)	अनिर्णीत
59	पैरा—24 (1)	Settled as per inspection Report vide letter No. 1-548/2011-Fin (LA) Vol-1- 5652 dated 30.8.2013
60	पैरा—24 (2)	Settled as per inspection Report vide letter No. 1-548/2011-Fin (LA) Vol-1- 5652 dated 30.8.2013
61	पैरा—24 (3)	Settled as per inspection Report vide letter No. 1-548/2011-Fin (LA) Vol-1- 5652 dated 30.8.2013
62	पैरा—25 (क) (1)	अनिर्णीत
63	पैरा—25 (क) (2)	अनिर्णीत
64	पैरा—25 (ख) (1)	अनिर्णीत
65	पैरा—25 (ख) (2)	अनिर्णीत
66	पैरा—25 (ख) (3)	अनिर्णीत
67	पैरा—26 (1)	अनिर्णीत
68	पैरा—26 (2)	अनिर्णीत
69	पैरा—26 (3)	अनिर्णीत
70	पैरा—26 (4)	अनिर्णीत
71	पैरा—27 (1) (क)	अनिर्णीत
72	पैरा—27 (1) (ख)	अनिर्णीत
73	पैरा—27 (1) (ग)	अनिर्णीत
74	पैरा—27 (2) (क)	अनिर्णीत
75	पैरा—27 (2) (ख)	अनिर्णीत
76	पैरा—27 (2) (ग)	अनिर्णीत
77	पैरा—27 (3) (क)	अनिर्णीत
78	पैरा—27 (3) (ख)	अनिर्णीत
79	पैरा—27 (3) (ग)	अनिर्णीत

80	पैरा–27 (3) (घ)	अनिर्णीत
81	पैरा–27 (3) (ङ)	अनिर्णीत
82	पैरा–27 (4) (क)	अनिर्णीत
83	पैरा–27 (4) (ख)	अनिर्णीत
84	पैरा–27 (4) (ग)	अनिर्णीत
85	पैरा–27 (4) (घ)	अनिर्णीत
86	पैरा–27 (5) (क)	अनिर्णीत
87	पैरा–27 (5) (ख)	अनिर्णीत
88	पैरा–27 (5) (ग)	अनिर्णीत
89	पैरा–27 (5) (घ)	अनिर्णीत
90	पैरा–27 (5) (ङ)	अनिर्णीत
91	पैरा–27 (6)	अनिर्णीत
92	पैरा–27 (8) (क)	अनिर्णीत
93	पैरा–27 (8) (ख)	अनिर्णीत
94	पैरा–27 (8) (ग)	अनिर्णीत
95	पैरा–27 (8) (घ)	अनिर्णीत
96	पैरा–27 (9) (क)	अनिर्णीत
97	पैरा–27 (10) (क)	अनिर्णीत
98	पैरा–27 (10) (ख)	अनिर्णीत
99	पैरा–27 (10) (ग)	अनिर्णीत
100	पैरा–27 (10) (घ)	अनिर्णीत
101	पैरा–27 (10) (ङ)	अनिर्णीत
102	पैरा–27 (10) (च)	अनिर्णीत
103	पैरा–27 (11) (क)	अनिर्णीत
104	पैरा–27 (11) (ख)	अनिर्णीत
105	पैरा–27 (11) (ग)	अनिर्णीत
106	पैरा–27 (11) (घ)	अनिर्णीत
107	पैरा–27 (11) (ङ)	अनिर्णीत
108	पैरा–27 (12) (क)	अनिर्णीत
109	पैरा–27 (12) (ख)	अनिर्णीत
110	पैरा–27 (12) (ग)	अनिर्णीत
111	पैरा–27 (12) (घ)	अनिर्णीत

112	पैरा–27 (13)	अनिर्णीत
113	पैरा–28 (1)	अनिर्णीत
114	पैरा–28 (2)	अनिर्णीत
115	पैरा–28 (3)	अनिर्णीत
116	पैरा–28 (4)	अनिर्णीत
117	पैरा–28 (5) (क)	अनिर्णीत
118	पैरा–28 (5) (ख)	अनिर्णीत
119	पैरा–28 (5) (ग)	अनिर्णीत
120	पैरा–28 (5) (घ)	अनिर्णीत
121	पैरा–28 (5) (ङ)	अनिर्णीत
122	पैरा–28 (5) (च)	अनिर्णीत
123	पैरा–28 (6)	अनिर्णीत
124	पैरा–28 (7)	अनिर्णीत
125	पैरा–28 (8) (1)	अनिर्णीत
126	पैरा–28 (8) (2)	अनिर्णीत
127	पैरा–28 (9)	अनिर्णीत
128	पैरा–28 (10)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (viii)	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2013 तक में समाविष्ट की गई है)
4	पैरा–4 (ix)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (x)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (xi)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (xii)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (xiii)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (xiv)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (xv)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (xvi)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (xvii)	अनिर्णीत

13	पैरा–4 (xviii)	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (xx)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (xxi)	अनिर्णीत
16	पैरा–5 (vii)	अनिर्णीत
17	पैरा–6	अनिर्णीत
18	पैरा–6 (i) (क)	अनिर्णीत
19	पैरा–6 (i) (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा–7 (i) (क)	अनिर्णीत
21	पैरा–7 (i) (ख)	अनिर्णीत
22	पैरा–7 (i) (घ)	अनिर्णीत
23	पैरा–7 (i) (छ)	अनिर्णीत
24	पैरा–7 (i) (ज)	अनिर्णीत
25	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
26	पैरा–7 (v)	अनिर्णीत
27	पैरा–7 (vi)	अनिर्णीत
28	पैरा–7 (vii)	अनिर्णीत
29	पैरा–7 (viii) (क)	अनिर्णीत
30	पैरा–7 (viii) (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत
32	पैरा–8 (iii)	अनिर्णीत
33	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
34	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (ज)	निर्णीत	(₹4000/– की मॉग सम्बन्धित रजिस्टर में सत्यापन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा समाप्त किया गया)
4	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत	

8	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (क) (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (क) (3)	अनिर्णीत
11	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा–9 (ग) (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–9 (ग) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (ग) (3)	अनिर्णीत
15	पैरा–9 (घ)	निर्णीत (नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा निर्णीत किया गया)
16	पैरा–9 (ङ)	निर्णीत (नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा निर्णीत किया गया)
17	पैरा–9 (च)	निर्णीत (DNIT के अवलोकन में पाया गया कि सीमेन्ट का issue Rate 170/- प्रति बैग था, अतः अंकेक्षण पैरा निर्णीत किया गया)
18	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (झ)	निर्णीत (नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत उतर के अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा निर्णीत किया गया)
20	पैरा–9 (ञ)	अनिर्णीत
21	पैरा–9 (ट)	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013
22	पैरा–9 (ठ)	अनिर्णीत
23	पैरा–9 (ड)	अनिर्णीत
24	पैरा–9 (ढ)	अनिर्णीत
25	पैरा–9 (ण)	निर्णीत (₹401 की वसूली जी–8 रसीद संख्या 8/329 दिनांक 24.8.2013 के तहत कर दी गई है)
26	पैरा–9 (त)	अनिर्णीत
27	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
28	पैरा–11 (क) व (ख)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा–3	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–4.1	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA)

		Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
4	पैरा—4.2	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
5	पैरा—5.1	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
6	पैरा—6.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 04/2011 से 03/2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई है)
7	पैरा—6.2	निर्णीत	(तैयार किए गए अनुदान रजिस्टर का सत्यापन कर लिया गया है)
8	पैरा—7	अनिर्णीत	
9	पैरा—7.1	अनिर्णीत	
10	पैरा—7.2	अनिर्णीत	
11	पैरा—8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 04/2011 से 03/2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई है)
12	पैरा—9	अनिर्णीत	
13	पैरा—10	अनिर्णीत	
14	पैरा—11	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं रफ ड्राईंग/x-Section के अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा समाप्त किया गया)
15	पैरा—12	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
16	पैरा—12.1	अनिर्णीत	
17	पैरा—13	अनिर्णीत	
18	पैरा—13.1	निर्णीत	(आवश्यक कटौतियॉ वाऊचर संख्या 11 दिनांक 3.11.2010 तथा 51 दिनांक 30.11.2010 के तहत कर दी गई)
19	पैरा—13.2	निर्णीत	(आवश्यक कटौतियॉ वाउचर संख्या 11 दिनांक 3.11.2010 तथा 51 दिनांक 30.11.2010 में की गई)
20	पैरा—13.3	निर्णीत	(आवश्यक कटौतियॉ वाउचर संख्या 11 दिनांक 3.11.2010 तथा 51 दिनांक 30.11.2010 में की

			गई)
21	पैरा–14	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं रफ ड्राईंग / x-Section के अवलोकन के उपरान्त अंकेक्षण पैरा समाप्त किया गया)
22	पैरा–15	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
23	पैरा–15.1	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
24	पैरा–16	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
25	पैरा–17	अनिर्णीत	
26	पैरा–17.1	अनिर्णीत	
27	पैरा–18	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
28	पैरा–19.1	अनिर्णीत	
29	पैरा–20	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
30	पैरा–20.1	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
31	पैरा–21	अनिर्णीत	
32	पैरा–22	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
33	पैरा–23	अनिर्णीत	
34	पैरा–24	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
35	पैरा–24.1	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
36	पैरा–25	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
37	पैरा–25.1	Settled as per inspection vide letter No. 1-548/2011-Fin(LA) Vol-1-5652 dated 30.8.2013	
38	पैरा–26	अनिर्णीत	
39	पैरा–26.1	अनिर्णीत	
40	पैरा–26.2	अनिर्णीत	
41	पैरा–26.3	अनिर्णीत	

42	पैरा–27	अनिर्णीत
43	पैरा–27.1	अनिर्णीत
44	पैरा–27.2	अनिर्णीत